

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)**प्रथम सूचना रिपोर्ट**
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)1. **District (जिला):** Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Hisar **Year (वर्ष):** 2025**FIR No. (प्र.सू.रि. सं.):** 0007**Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):**

13/03/2025 15:53 hrs

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	419
2	IPC 1860	420
3	IPC 1860	467
4	IPC 1860	468
5	IPC 1860	471
6	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(2)
7	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)(a)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**1 **Day (दिन):** Intervening Days**Date from (दिनांक से):**

07/10/2020

Date To (दिनांक तक):

12/12/2020

Time Period (समय अवधि):**Time From (समय से):** 00:00
hrs**Time To (समय तक):**

00:00 hrs

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 13/03/2025 **Time (समय):** 15:41 hrs(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 010 **Date and Time (दिनांक और समय):** 13/03/2025 15:41 hrs4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written5. **Place of Occurrence****(घटनास्थल):**1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** EAST, 35 Km(s) **Beat No. (बीट सं.):**(b) **Address (पता):** HSDC, सेल काउंटर हांसी,(c) **In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):****District (State) (जिला (राज्य)):**

6. Complainant (नाम): शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता:

(a)

(b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1995

(d) Nationality (राष्ट्रियता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)
------------------	--------------------------------	--------------------------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address

(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	PS ACB HISAR, HISAR, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	PS ACB HISAR, HISAR, HARYANA, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-9560914570

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	सतबीर		Father's Name: जगदीश लाल	1. काबरेल, तहसील मण्डी आदमपुर, तत्कालिन सेल्समैन हरियाणा बीज, विकास निगम लि हांसी हाल आदमपुर, HISAR, HARYANA, INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य (रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)
---------------------	--------------------------------

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में
प्रबंधक अफसर,
थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
हिसार मंडल हिसार ।
श्रीमान जी

निवेदन यह है कि CWP No. 5898 of 2022 Jasbir Ram Vs. State of Haryana में माननीय उच्च न्यायालय, पंजाब एवं हरियाणा, चण्डीगढ़ के आदेश दिनांक 09.05.2024 की अनुपालना में कार्यालय अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ह0) पंचकुला के पृष्ठांकन क्रमांक 12144/1-3/ए0सी0बी0 (एच0) दिनांक 24.06.2024 के अनुसार जांच क्रमांक 01 दिनांक 21.06.2024 हिसार दर्ज रजिस्टर होकर पड़ताल हेतु हिसार मंडल हिसार में प्राप्त हुई थी जिसमें वर्ष 2020-21 रबी सीजन में गेहूं बीज वितरण के दौरान हरियाणा बीज विकास निगम, हिसार के अधिकारियों /कर्मचारियों द्वारा सरकारी रिकार्ड में जालसाजी करके सब्सिडी पर विक्रय किए जाने वाले गेहूं बीजका नियमानुसार सही वितरण ना करके गबन किए जाने बारे आरोप था । उक्त आरोपों की जांच मेरे द्वारा अमल में लाई गई थी । जांच के दौरान पाया गया कि हरियाणा सरकार द्वारा रबी सीजन वर्ष 2020-2021 के दौरान गेहूं बीज की 3350 रूपए प्रति क्विंटल की दर तय की गई थी, जिसमें से 1,000 रूपए प्रति क्विंटल गेहूं बीज पर सब्सिडी के बाद 2,350 रूपए प्रति क्विंटल किसानों को गेहूं बीज विक्रय करने की कीमत तय की जानी पाई । इस प्रकार 940 रूपए प्रति बैग (40 किलोग्राम) के हिसाब से किसानों को रियायती दर पर गेहूं बीज विक्रय किया जाना पाया गया है । जांच के दौरान पाया गया कि उक्त अवधि के दौरान हरियाणा बीज विकास निगम, जिला हिसार के छे स्थाई केंद्रों हिसार, हांसी, नारनौद, उकलाना, आदमपुर व बरवाला तथा तीन अस्थाई केंद्रों कैपस हिसार, अग्रोहा व बासबिक्री केंद्रों के माध्यम से अलग - अलग वैरायटी का कुल 15568.40 क्विंटल गेहूं बीज रियायती दरों पर कुल 5290 किसानों को कुल 3,65,85,740 रूपए में विक्रय किया जाना पाया गया है जिसकी सब्सिडी अमाउंट 1,55,68,400 रूपए हरियाणा बीज विकास निगम, हिसार के पंजाब नेशनल बैंक के खाता न0 00584010000350 में बैंक खाता में प्राप्त होनी पाई गई है । जांच के दौरान वर्ष 2020-2021 रबी सीजन के दौरान हरियाणा बीज विकास निगम हिसार के बीज बिक्री केंद्रों से सब्सिडी पर बीज खरीद करने वाले किसानों में से रैंडमली 536 किसानों को शामिल जांच करके गेहूं बीज खरीद बारे तसदीक की गई व कथन अंकित किए गए ।

जांच के दौरान रामफल पुत्र धनपत निवासी द्वाणी पुरियावाली, तहसील हांसी, जिला हिसार ने अपने कथन में अंकित करवाया कि उसने वर्ष 2020 में एच0एस0डी0सी0 हांसी से 1 बैग गेहूं बीज खरीद किया था । सेल काउंटर हांसी के सेल्स रजिस्टर में क्र0स0 582 पर रामफल उक्त के नाम के सामने 12 बैग दर्शाए गए हैं ।

जांच के दौरान जोगिंद्र पुत्र मांगेराम निवासी मेहंदा, जिला हिसार के इंद्राज हरियाणा बीज विकास निगम, हांसी के सेल्स रजिस्टर में क्र0न0 344 पर गेहूं बीज वैरायटी HD-3086 के 26 बैग दर्शाए जाने पाए गए व रिकार्ड रजिस्टर में अंगूठा व हस्ताक्षर किए जाने पाए गए हैं । जोगिंद्र के कथनानुसार उसने वर्ष 2020-21 खेती ही नहीं की थी उसने अपनी पैतृक चार एकड़ कृषि भूमि ठेके पर दे रखी थी । जोगिंद्र उक्त ने सेल्स रजिस्टर में उसके नाम के सामने किए हस्ताक्षर व लगा अंगूठा खुद के होने से मना किया है व बतलाया कि मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूं और हस्ताक्षर करता हूं ।

इस प्रकार जांच के दौरान प्राप्त किए गए कथनों से हरियाणा बीज विकास निगम के बिक्री केंद्र, हांसी के सेल्स रजिस्टर में क्र0स0 344 पर इंद्राज व बिल न0 78193 दिनांक 29.10.2020 फर्जी होना पाया गया है । अतः रबी सीजन वर्ष 2020-21 में हरियाणा बीज विकास निगम के बीज बिक्री केंद्र, हांसी के सेल्स रजिस्टर में फर्जी इंद्राज करके, किसानों के फर्जी हस्ताक्षर व अंगूठा लगाकर व फर्जी रिकार्ड तैयार करके सेल्समैन के द्वारा अपने पद की शक्तियों का दुरुपयोग करना पाया गया है । अतः इस संबंध में सतबीर पुत्र श्री जगदीश लाल वासी गांव काबरेल, तह0 मण्डी आदमपुर, जिला हिसार, तत्कालिन सेल्समैन, हरियाणा बीज विकास निगम लि0, हांसी, जिला हिसार हाल सेल्समैन, हरियाणा बीज विकास निगम लि0, आदमपुर के खिलाफ तत्कालीन प्रचलित कानून भा0द0स0 की धारा 419, 420, 467, 468, 471 व 13(1)A read with 13(2) PC Act 1988 के तहत अभियोग अंकित किये जाने की व अनुसंधान के दौरान सभी लाभार्थियों के शामिल

अनुसंधान करने उपरांत अगर इस प्रकरण में अन्य किसी की संलिप्तता पाई जाती है, तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही करने की सिफारिश सहित जांच रिपोर्ट अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा, पंचकूला के पत्र क्रमांक 3097/I-1/ACB(H) दिनांक 21.02.2025 अनुसार सरकार को भेजी गई थी, जो अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा, पंचकूला के पृष्ठांकन क्रमांक 3677/I-1/ACB(H) दिनांक 05.03.2025 अनुसार हरियाणा बीज विकास निगम के सम्बन्धित सेल्ज काउंटर के सेल्जमैन के खिलाफ धारा 409, 419, 420, 467, 471 भा0द0स0 व धारा 13(1)A read with 13(2) PC Act 1988 के अभियोग अंकित किये जाने का अनुमोदन प्राप्त होने पर सतबीर पुत्र श्री जगदीश लाल वासी गांव काबरेल, तह0 मण्डी आदमपुर, जिला हिसार, तत्कालिन सेल्समैन, हरियाणा बीज विकास निगम लि0, हांसी हाल सेल्समैन, हरियाणा बीज विकास निगम लि0, आदमपुर के खिलाफ उपरोक्त धाराओं के तहत अभियोग अंकित करने हेतु ड्राफ्ट तहरीर तैयार करके पत्र क्रमांक 993/ACB हिसार दिनांक 07.03.2025 के अनुसार गेहूं बीज सब्सिडी हेतु जांच के लिए निर्धारित नोडल अफसर, पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम को भेजी गई थी, जिनके द्वारा पत्र क्रमांक 1184/भ0नि0 ब्यूरो गुरुग्राम दिनांक 10.03.2025 के अनुसार ड्राफ्ट तहरीर अनुमोदन के लिए मुख्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा, पंचकूला भेजी गई थी, जिस पर कार्यालय अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, ह0 पंचकूला के पत्र क्रमांक 4392/I-1/ACB(H) dated 12.03.2025 के अनुसार भेजी गई ड्राफ्ट तहरीर अनुमोदन उपरांत कार्यालय पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम के पत्र क्रमांक 1251/भ0 नि0 ब्यूरो गुरुग्राम दिनांक 13.03.2025 अनुसार इस कार्यालय में अभियोग अंकित करने की अनुमति प्राप्त होने उपरांत आरोपी सतबीर पुत्र श्री जगदीश लाल वासी गांव काबरेल, तह0 मण्डी आदमपुर, जिला हिसार, तत्कालिन सेल्समैन, हरियाणा बीज विकास निगम लि0, हांसी, जिला हिसार हाल सेल्समैन, हरियाणा बीज विकास निगम लि0, आदमपुर, जिला हिसार के विरुद्ध जेर धारा 419, 420, 467, 468, 471 भा0द0स0 व 13(1)A read with 13(2) PC Act 1988 दर्ज करने व दौरान अभियोग अनुसंधान अन्य सभी लाभान्वित किसानों को शामिल अनुसंधान करने उपरांत यदि इस प्रकरण में अन्य किसी व्यक्ति / कर्मचारी / अधिकारी की संलिप्तता सामने आए तो उनके खिलाफ निमानुसार कार्यवाही करने के लिए तहरीर हजा बराये कायमी अभियोग बदस्त ESI रामफल 463/हिसार के भेजी जा रही है। बाद कायमी अभियोग नम्बर पर्चा से सूचित करें। अभियोग की स्पेशल रिपोर्ट ईलाका मजिस्ट्रेट व अफसरान बाला को भिजवाई जावे।

अज- कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हिसार।

SD Tamanna

निरीक्षक, तमन्ना(P/SI)

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,

हिसार मंडल हिसार।

दिनांक 13.03.2025

समय - 3.35 PM.

अज थाना- उपरोक्त तहरीर पर मुकदमा नं. 07 दिनांक 13.03.2025 जेर धारा 13(1)(a) r/w 13(2) Pc Act 419, 420, 467, 468, 471 IPC थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हिसार दर्ज रजि. किया जाकर नकल मिशल पुलिस मय असल रिकार्ड आगामी तफतीश हेतु निरीक्षक महेन्द्र सिंह नं. 293/H थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हिसार के हवाले किया जाएगा। प्र.सु.रि. की स्पेशल प्रतियां तैयार करके बजरियां EMAIL ID द्वारा ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब हिसार व पुलिस अधीक्षक हिसार की सेवा में भेजी जा रही हैं।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)

(2)

Rank (पद): I (Inspector)

Directed (Name of I.O.) (जाँच अधिकारी का नाम):

MAHENDER

No. (सं.): 293h to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया)
or (या)

(3) Refused investigation due to (जाँच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण
हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.

(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): SATYAPAL

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 303SPT

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के
हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7

संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male					
						Is pox pitted: Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)